न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

(1) पंचायत निगरानी संख्या : 114/2024 जीसीएमएस नम्बर : 2024/175

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीया :–
विकास अधिकारी, पंचायत समिति रोहट, जिला पाली		प्रवीण पुत्र जीवनदास वैष्णव 598, सदर बाजार रोहट, तहसील रोहट जिला पाली

(2) पंचायत निगरानी संख्या : 177/2024 जीसीएमएस नम्बर : 2024/296

प्रार्थीयाः–	बनाम	अप्रार्थीया :–
भरत पटेल पुत्र कानाराम जाति पटेल निवासी निम्बली पटेलान तहसील रोहट जिला पाली हाल सरपंच ग्राम पंचायत रोहट जिला पाली		प्रवीण पुत्र जीवणदास जाति वैष्णव निवासी रोहट तहसील रोहट जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह राजपुरोहित, प्रार्थी भरत पटेल की ओर से (पंचायत निगरानी संख्या 177/2024)

–: निर्णय :–

दिनांक : 11.12.2025

विकास अधिकारी पंचायत समिति रोहट एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दोनो पंचायत निगरानी ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 197/2018–19, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 22.03.2019 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 11.09.2019 के विरूद्ध होने के कारण दोनों पंचायत निगरानी को समेकित कर निर्णय पारित किया गया। उक्त दोनों निगरानी को अलग अलग दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति, रोहट ने निगरानी पेश कर निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टे के आवेदन पत्र पर सरपंच के हस्ताक्षर ही नहीं है और न ही स्थल नक्शा पर आवेदक के हस्ताक्षर है। सरबर्क फार्म पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। अप्रार्थी के कब्जे सत्यापन हेतु स्वतंत्र गवाहों के बयान नहीं लिये गये, आक्षेप आमंत्रित करने के नोटिस पर चस्पानगी रिपोर्ट के सम्बन्ध में 2 गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है तथा मिसल में आज्ञाओं की सूची अपूर्ण है, साथ ही निर्णय पत्र अपूर्ण है। उक्त पट्टे की भूमि आबादी व राजस्व भूमि की सीमा पर है, जिसमें कही पर भी खसरा संख्या नहीं लिखे हुये है। मौके पर उक्त पट्टे की भूमि खाली है किसी प्रकार का मकान व रहवास नहीं है लेकिन ग्राम पंचायत ने विधिविरूद्ध तरीके से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में

अति. जिला कलेक्टर पाली

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नहीं की गई है इसलिये जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

प्रार्थी भरत पटेल के अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि निगरानी आराजी खाली भूखण्ड के रूप में स्थित है और तत्कालीन ग्राम पंचायत ने राज. पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध तरीके से जारी कर राजस्व की हानी की है जबकि नियम के अन्तर्गत पुराने गृहों का विनियमितिकरण करने का प्रावधान है। आक्षेप आमंत्रित किये जाने का आदेश ऑर्डरशीट में वर्णित नहीं है और मिसल की सम्पूर्ण ऑर्डरशीट निर्धारित कम्प्यूटर फॉमेर्ट में तैयार की गयी है जिसमें भी नाप व पडौस का विवरण खाली छोड़ा हुआ है। निर्णय पत्र अपूर्ण है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की पालना नहीं करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय श्रवणसुदा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 197/2018–19, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 22.03.2019 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 11.09.2019 के विरूद्ध पेश की है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी रूप में यह जांच नहीं की कि उक्त भूमि प्रतिबंधित है या आबादी ? इस तथ्य के निर्धारण हेतु ग्राम पंचायत को पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी तथा इसके अतिरिक्त पंचायती राज नियमों के तहत स्वयं को भी जांच करवानी थी, जो नहीं करवाई गई। तथाकथित आबादी का नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया। ग्राम पंचायत रियायती दर पर/निःशुल्क भू–खण्ड आवंटन करने से पूर्व प्लान का नक्शा बनाकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी से अनुमादेन प्राप्त नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि आवंटी का पट्टा किस खसरा नम्बर की भूमि में या किस स्थान पर जारी किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली के पत्र दिनांक 30.03.2022 की पालना में ग्राम पंचायत रोहट के पट्टो की प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी प्रवीण पुत्र जीवनदास, मिसल संख्या 197/18–19, पट्टा संख्या 15 पंचायत नियम 157(1) के तहत खाली जमीन पर जारी किये गये, मिसलों में अधिकांश पूर्तिया करने का अभाव पाया गया है, ग्राम पंचायत ने पंचायत राज नियमों के प्रतिकूल पट्टे जारी किये है, जिससे ग्राम पंचायत को राजस्व की हानि हुई है। उक्त जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों के विपरीत वर्ष 2019 में खाली भूखण्ड का जैर निगरानी पट्टा नियम 157(1) के तहत जारी किया है जबकि उक्त नियम में पुराने गृहों के विनयमीतीकरण के प्रावधान है लेकिन मौके पर कोई भी पुराना गृह विद्यमान नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2017(2) DNJ (Raj) 730 Mangilal Meghwal vs state में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा, 157 के तहत पट्टा देने के लिए मौके पर पुराना मकान होना आवश्यक है।" इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टान्त 2020(1)DNJ (Raj.) 201 Kushal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secretary Department of Panchayati Raj, Jaipur & Ors. में वर्ष 2007 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे को निरस्त करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज नियम,

अति. जिला कलेक्टर, पाली

1996 – नियम 157 के तहत निर्धारित क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे जारी नहीं किया जा सकता है।"

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 157(1) के तहत जारी किया गया हैं। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही आबादी भूमि के खसरे संख्या का अंकन है, न ही आवेदन पत्र पर आवेदनकर्त्ता के हस्ताक्षर है और न ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक अंकित है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 20.02.2019, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हें नामित नहीं किया गया। सम्पूर्ण आदेशिका कम्प्यूटर टाईप है, जो प्रथम दृष्टया एक ही दिन में तैयार किया जाना प्रतीत होता है। आवेदक द्वारा नियम 145(2) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। प्रश्नगत आराजी का नक्शा कब बनाया गया, किस खसरे का बनाया गया, के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है और न ही सायल के हस्ताक्षर अंकित है। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. में यह प्रतिपादित किया कि Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व कब्जा सत्यापन हेतु स्वतंत्र गवाहों के बयान ही नहीं लिये गये, साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव है। आदेशिका दिनांक 50.03.2019 में अंकितानुसार स्थल आबादी में होने की पटवारी हल्का रिपोर्ट पेश हो चुकी है परन्तु हस्तगत प्रकरण की मिसल में ऐसी कोई रिपोर्ट संलग्न नहीं है। मिसल की आदेशिका दिनांक 05.03.2019 के द्वारा आक्षेत्र

अति. जिला कलेक्टर पाली

आमन्त्रित हेतु नोटिस जारी का निर्णय लिया गया परन्तु उक्त आपत्ति इश्तिहार दिनांक 20.02.2019 को जारी किया गया। जब प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 50.03.2019 को आपत्ति इश्तिहार जारी करने का निर्णय लिया गया तो उससे पूर्व ही दिनांक 20.02.2019 को ही आपत्ति इश्तिहार कैसे जारी किया जा सकता है ? उक्त आपत्ति इश्तिहार के सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट अथवा गवाहों के हस्ताक्षर अंकित नहीं है, ऐसी स्थिति में यह प्रतीत होता है कि उक्त नोटिस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। साथ ही निर्णय पत्र में मूलभूत जानकारी का अभाव पाया गया है। इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ (Raj) 458 Dhanraj and Anr vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 255 से 265–आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगें गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई–कोई आपत्तियॉ भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ, अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित किया गया। इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996–नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है, हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है। ग्राम पंचायत ने पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी करते हुये अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एंव उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप उपरोक्त दोनो पंचायत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 197/2018–19, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 22.03.2019 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी प्रवीण पुत्र जीवनदास के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 11.09.2019 को अपास्त किया जाता है। निर्णय पृथक–पृथक प्रतियों में लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर दोनों निगरानी याचिका में नत्थी किया जावे। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली